

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p><b>पुनाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</b></p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 146 / 2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-06-2022</p>	<p>अपीलार्थी पुनाराम, निवासी ग्राम पुनासर तहसील बापिणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.03.2022 में (1) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में मेन पावर (कम्प्यूटर, चपरासी, गार्ड इत्यादि) आपूर्ति के लिए एक फर्म/एजेंसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिर्वाय है? प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 746 दिनांक 07.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी पुनाराम को कार्यालय के पत्रांक 474 दिनांक 08.04.22 द्वारा कुल 19 पृष्ठों की बिन्दुवार सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	

